न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 925 सन 2020

अनवान :–

1. सोनूराम पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सरवन पुत्र लालू जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. अमरसिह पुत्र सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. इन्द्रसैन पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. रजनी कुमारी पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. पूजा पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. समेस्ता पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. महीपा पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. सन्जू पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. रामी पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 704/704 के खसरा न0 42/3 की 3.6550हैक्‍ व खसरा न0 42/2 की कुल 5.6780हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पडदादा लालू ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ता 10 वादी का पिता/ बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ता 10 जो वादी की पिता/बहने/बुआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 704/704 के खसरा न0 42/3 की 3.6550हैक्ट व खसरा न0 42/2 की कुल 5.6780हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पडदादा लालू ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ता 10 वादी का पिता/ बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 704/704 के खसरा न0 42/3 की 3.6550हैक्‍ व खसरा न0 42/2 की कुल 5.6780हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पडदादा लालू ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के दादाा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्यिा के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 2 ,4 ता 10 वादी का पिता/बुआ/ बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2,4 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किया जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयुटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 704/704 के खसरा न0 42/3 की 3.6550हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हे का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खसरा न0 42/2 की कुल 2.0230हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सोनूराम पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सरवन पुत्र लालू जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. अमरसिह पुत्र सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. इन्द्रसैन पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. रजनी कुमारी पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. पूजा पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. समेस्ता पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. महीपा पुत्री सरवन जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. सन्जू पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. रामी पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 925 सन 2020 निर्णय दिनांक– 05/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 704/704 के खसरा न0 42/3 की 3.6550हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हे का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खसरा न0 42/2 की कुल 2.0230हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)